[श्री सुशील कुमार गुप्ता]
होती है। इस वजह से वहां पर न तो सरकार स्कूल खोल पा रही है और न प्राइवेट लोग स्कूल खोल पा रहे हैं। आप उस लैंड की रिक्वायरमेंट को पूरे हिन्दुस्तान में एक समान फिक्स करवा दें कि इतने एकड़ लैंड के अंदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनेगा, हालांकि सीबीएसई ने यह तय किया हुआ है। परन्तु राज्य सरकारें...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Put your question, please. आप प्रश्न करिए।

श्री सुशील कुमार गुप्ताः सर, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। अगर हम राज्य सरकारों के माध्यम से लैंड के नियम को फिक्स करवा दें, तो यह शिक्षा के प्रसार के लिए बहुत बढ़िया होगा।

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: It is a suggestion for action.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBNESWAR KALITA): Okay. Now, next Q. No. 92. The questioner is not present. Are there any supplementaries?

गरीबी-उन्मूलन के संबंध में कार्य योजना

*92. **श्री प्रभात झाः** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 'सतत् विकास संबंधी लक्ष्यों' का एक प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2030 तक संपूर्ण विश्व से गरीबी का उन्मूलन करना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार संयुक्त राष्ट्र के 'सतत् विकास संबंधी लक्ष्यों' के उद्देश्य के अनुरूप वर्ष 2030 तक भारत से गरीबी का उन्मूलन करने हेतु बनाई गई कार्य-योजना पर भी काम कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कार्य-योजना को कार्यान्वित करने में राज्यों का अपेक्षित सहयोग मिल रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सतत् विकास ध्येयों (एसडीजी) के तहत वर्ष 2030 तक संपूर्ण विश्व से चरम गरीबी का उन्मूलन करने के लिए एक स्पष्ट, सर्वव्यापक समझौता शामिल है। 17 एसडीजी और इनसे संबद्ध 169 लक्ष्य हैं जो मानव कल्याण के सभी पहलुओं का समाधान करने तथा विकास के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों का एकीकरण करने का प्रयास करते हैं। एसडीजी 1 स्पष्ट रूप से गरीबी पर केंद्रित है और यह निम्नानुसार हैः 'सभी जगह गरीबी का इसके सभी रूप में अंत करना'। एसडीजी 1 के तहत लक्ष्य, अन्य के साथ-साथ, निम्नलिखित पर केंद्रित हैंः सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों का कार्यान्वयन करना; आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों, वित्तीय सेवाओं और उचित प्रौद्योयोगिकी के संबंध में सभी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना; गरीबी का अंत करने के लिए

पर्याप्त संसाधन जुटाना सुनिश्चित करना तथा राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर आवश्यक नीतिगत फ्रेमवर्क सृजित करना।

(ख) भारत सरकार द्वारा अपनाया गया राष्ट्रीय विकास एजेंडा इन एसडीजी में प्रतिबंधित होता है और इसे केन्द्र-प्रयोजित और केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों की व्यवस्था के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। सरकार अनेक ऐसे कार्यक्रमों/स्कीमों के माध्यम से वर्ष 2030 तक भारत में चरम गरीबी का उन्मूलन करने की दिशा में कार्य कर रही है जो बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने, कमजोर समुदायों के सदस्यों को सामजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने तथा गरीबों के लिए रोजगार और आय का सृजन करने की एक व्यापक कार्यनीति को प्रतिबंधित करते हैं।

कई कार्यक्रम सभी के लिए बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने पर केंद्रित हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 75% आबादी को और शहरी क्षेत्रों में 50% आबादी के किफायती मूल्यों पर (चावल, गेहूं और मोटे अनाज के लिए क्रमशः 3/2/1 रु. प्रति कि.ग्रा.) खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के माध्यम से पर्याप्त और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन की अग्रणी पहल स्वच्छता की उपलब्धता सुनिश्चित करती है और इसका लक्ष्य वर्ष 2019 तक पूरे देश को खुले में शौच की समस्या से मुक्त करना है। प्रधान मंत्री आवास योजना का लक्ष्य गरीब परिवारों को विशेष सहायता उपलब्ध करवाकर 2022 तक 'सभी के लिए आवास' सुनिश्चित करना है। खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता में कमी देश-भर में गरीबी का एक अभिशाप रही है। प्रधान मंत्री उज्जवला योजना के तहत, बीपीएल परिवारों को 2020 तक 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे जिससे प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा होगी। इसके अतिरिक्त, सौभाग्य (प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना) का लक्ष्य समयबद्ध रूप से देश के सभी भागों में सर्वव्यापक घरेलू विद्युतीकरण हासिल करना और इसी के साथ-साथ ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करना है।

सामाजिक संरक्षण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में अनेक प्रमुख अंतःक्षेप कार्यान्वयनाधीन हैं। आयुष्मान भारत (राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन) की नई पहल लोगों के लिए निःशुल्क अनिवार्य दवाओं और नैदानिक सेवाओं के साथ-साथ मातृ और बाल स्वास्थ्य तथा गैर-संचारी रोगों को शामिल करते हुए स्तरीय व्यापक स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। यह 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों (लगभग 50 करोड़ व्यक्तियों) को प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रु. की स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा प्रदान करेगी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों को पेंशन उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त, तीन प्रमुख कार्यक्रमों, जो संयुक्त रूप से जन सुरक्षा के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात् प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) द्वारा सामाजिक सुरक्षा की उपलब्धता में पर्याप्त वृद्धि की गई है। पीएमजेजेबीवाई 200,000 रु. का मियादी जीवन बीमा प्रदान करती है, पीएमएसबीवाई 200,000 रु. तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रदान करती है और एपीवाई असंगठित क्षेत्रक में कामगारों को पेंशन उपलब्ध कराती है।

इसी प्रकार, विभिन्न प्रभावकारी कार्यक्रम गरीबों के लिए रोजगार और आय सृजन करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए)

के तहत, ग्रामीण अकुशल कामगारों को एक वर्ष में कम-से-कम 100 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी दी जाती है। प्रधान मंत्री जन धन योजना ने वित्तीय समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण में पर्याप्त प्रगति को संभव बनाया है। आधार के साथ संयोजन और मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ मिलकर इसने विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों के लाभार्थियों को संचयी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण संभव बनाया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय आजीविका मिशन गरीबों के लिए कुशल रोजगार सृजित करने के प्रति समर्पित है। इस मिशन का लक्ष्य बहुसंख्यक ग्रामीण गरीब परिवारों में से प्रत्येक की एक महिला सदस्य को क्रमशः स्वसहायता समूहों में शामिल करना भी है। मिशन अंत्योदय 50,000 ग्राम पंचायतों को गरीबी-मुक्त करने की दिशा में कार्य कर रहा है।

(ग) भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के सहयोग से गरीबी-उन्मूलन के लिए कार्यक्रमों/स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है। राज्य सरकार और संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा सुसंगत केन्द्र-प्रायोजित स्कीमों को स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय सहायता के निर्गम की दृष्टि से केन्द्र सरकार की सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है। कार्यान्वयन की प्रगति की संयुक्त रूप से निगरानी की जाती है और उपलब्धियों में तेजी लाने के लिए आवश्यक कार्रवाईयां की जाती हैं।

Action Plan on eradication of poverty

†*92.SHRI PRABHAT JHA: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether one of the main objectives of the United Nations Sustainable Development Goals is to eradicate poverty from the entire world by 2030 and if so, the details thereof;

(b) whether Government is also working on an action plan to eradicate poverty from India by 2030, in accordance with the objective of sustainable development goals of the United Nations and if so, the details thereof; and

(c) whether States are extending requisite cooperation to supplement the action plan and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING (RAO INDERJIT SINGH): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The Sustainable Development Goals (SDGs) constitute a bold, universal agreement to eradicate extreme poverty from the entire world by 2030. There are 17 SDGs and 169 associated targets, which seek to address all aspects of human wellbeing and integrate economic, social and environmental dimensions of development. The SDG 1 is explicitly centred on poverty and reads as follows: 'End poverty in all its forms everywhere'. Targets under the SDG 1 are *inter alia* focused on implementing social

† Original notice of the question was received in Hindi.

protection systems for all; ensuring equal rights of all to economic and natural resources, financial services and appropriate technology; ensuring mobilization of adequate resources for ending poverty and creating necessary policy framework at national, regional and international levels.

(b) The National Development Agenda pursued by the Government of India is mirrored in the SDGs and implemented through an array of Centrally Sponsored and Central Sector Schemes. The Government is working towards eradicating extreme poverty from India by 2030 through a number of programmes/schemes which reflect a comprehensive strategy of providing basic services, extending social protection to members of vulnerable communities and generating employment and income for the poor.

Several programmes focus on providing basic services for all. As per the National Food Security Act, food grains are provided to nearly 75% of the population in rural areas and 50%) of the population in urban areas at affordable prices (Rs. 3/2/1 per kg for rice, wheat and coarse grains respectively) under the Targeted Public Distribution System. Access to adequate and safe drinking water is being provided through the National Rural Drinking Water Programme. The flagship initiative of the Swachh Bharat Mission ensures access to sanitation and aims to make the whole country Open Defecation Free by 2019. The Pradhan Mantri Awaas Yojana targets to ensure 'Housing for All' by 2022 by providing special assistance to poor households. Lack of access to clean cooking fuel has been a bane of poverty across the country. Under the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, 8 crore LPG connections will be provided by 2020 to BPL families directly protecting the health of women and children. Further, SAUBHAGYA (Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojna) aims to achieve universal household electrification in all parts of the country in a time bound manner, while also providing employment to rural youth in the process.

Towards ensuring social protection and security, several major interventions are under implementation. The new initiative of Ayushman Bharat (National Health Protection Scheme) will ensure people's access to quality comprehensive health care including for maternal and child health and non-communicable diseases along with free essential drugs and diagnostic services. It will provide health insurance coverage to over 10 crore poor and vulnerable families (about 50 crore individuals) up to Rs. 5, 00,000 per family per year. The National Social Assistance Programme (NSAP) provides pension to the elderly, widows and differently-abled individuals. Moreover, access to social security has been substantially augmented by three major programmes together known as Jan Suraksha, *i.e.* Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) and Atal Pension Yojana (APY). The PMJJBY provides term life

insurance of Rs. 200,000; the PMSBY provides personal accident insurance to the tune of Rs. 200,000 and the APY offers pension to workers in the unorganized sector.

Similarly, several impactful programmes focus on employment and income generation of the poor. Under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), employment guarantee is provided to rural unskilled workers for at least 100 days a year. The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana has enabled significant progress in financial inclusion and economic empowerment. Together with Aadhaar seeding and mobile connectivity, it has enabled cumulative direct benefit transfer to beneficiaries of various programmes/schemes. The Deendayal Antyodaya Yojana National Livelihoods Mission, is devoted to creating skilled employment for the poor. The Mission also aims to gradually bring one female member each from a large number of rural poor households into Self-Help Groups. The Mission Antyodaya is working towards making 50,000 Gram Panchayats poverty-free.

(c) The Government of India is implementing programmes/schemes for poverty eradication in collaboration with the States/UTs. The relevant Centrally Sponsored Schemes are being executed by the State governments and UTs with the support of the Central Government in terms of release of financial support as per the scheme guidelines. Progress, of implementation is jointly monitored and necessary actions are taken to expedite achievement.

MS. DOLA SEN: Will the Minister of Planning be pleased to state whether the Government has any data on the transgenders and other severely ostracised members of Indian society who are below poverty line? If so, the details thereof please. Whether the Government would consider a thorough revision of this plan to specifically describe how it plans to undertake the eradication of poverty among all Indian citizens including them?

राव इन्द्रजीत सिंहः सर, यह बड़ा अहम सवाल Sustainable Development Goals का है। जिन साहिबान ने यह सवाल पूछा था, वह अभी हैं नहीं और सप्लीमेंट्री प्रश्न आ गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से यह सवाल पूछा गया है, यह मानवता के लिए बड़ी अहमियत रखता है। वर्ष 2016 के अंदर United Nations के auspices के माध्यम से 193 मुल्कों ने एक फैसला लिया कि 2030 तक हर एक मुल्क को क्या-क्या जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। भारत भी उसका एक signatory है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने जो Surtainable Development Goals United Nations के हैं, उसकी mirror image भारत का National Development Agenda रखा है। जो सबसे पहला Sustainable Development Goals का मुद्दा है, वह poverty eradication है। वर्ष 2030 तक जो abject poverty है, हर एक मुल्क को वह मिटा देनी है। उस verticle के नीचे 6-7 horizontals हैं और 169 targets हैं। इन targets को पूरा करने के लिए भारत सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। मैडम, के सवाल

का जवाब देने से पहले, मैं इस हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि poverty alleviate करने के वास्ते दो-तीन अहम चीजें करनी होती हैं। एक तो basic services जनता को मुहैया कराना बहुत ही जरूरी है। उसके बिना poverty नहीं हट सकती। दूसरी चीज़ social protection है। अगर social protection नहीं होगा, तो मैं समझता हूं कि poverty से बेशक वह बाहर निकल जाए, लेकिन उसका जीवन ठीक तरह से व्यतीत नहीं हो पाएगा और तीसरी चीज employment और income generation है। इसलिए भारत सरकार के जो initiatives हैं, यदि आप permission दें, तो मैं उनके बारे में जिक्र करना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): मंत्री जी, आप माननीय सदस्या को इस बारे में लिखकर भिजवा दें। The answer should not be too long. There are many supplementaries.

RAO INDERJIT SINGH: Sir, the answer has not even been read out. The person who has asked the question is not here. जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि यह हमारे भारतवर्ष के लिए ही नहीं है, बल्कि सारे विश्व के लिए बड़ी अहमियत रखता है। यदि इसके बारे में हाउस को जानकारी मिल जाए, तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जहां तक माननीय सदस्या ने जो पूछा है, ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): You reply to the Member who is present and who has brought the supplementary. ...*(Interruptions)*...

राव इन्द्रजीत सिंह: सर, माननीय सदस्या ने transgender और विकलांग के बारे में जानकारी हासिल करनी चाही है। इस समय मौजूदा तौर पर वह विषय मेरे सामने नहीं है, इसलिए मैं उन्हें बाद में लिखित में भेज दूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): ठीक है। आप माननीय सदस्या को बाद में लिखित में उत्तर भिजवा दीजिए।

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: मान्यवर, मंत्री जी ने भारत सरकार के बारे में कहा है कि बहुत बड़ी स्कीम लेकर और United Nations को ध्यान में रखते हुए, देश में जो चरम गरीबी है और जो abject poverty है, उसे दूर करने के लिए, schemes की बात कर रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी आपने खुद भी देखा होगा, हम सब लोगों ने देखा, television पर देखा, अखबारों में आज पढ़ा है और कल भी पढ़ा था कि दिल्ली शहर में ही तीन बच्चियां गरीबी की वजह से, तीन दिन से खाना न मिलने की वजह से मर गईं। यह बात मैं रिपोर्ट के आधार पर कर रहा हूं। अब पता नहीं वे कितने दिन से starve कर रही थीं, इसलिए उनकी death हो गई। अगर आपकी ये स्कीम्स हैं और आप बता रहे हैं कि हम बहुत कर रहे हैं, अरबों-खरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, तथा एक ऐसी व्यवस्था में आज आपके एक प्रदेश में, देश की capital, दिल्ली शहर में इस तरह से उनकी death हो जाती है, तो यह बहुत चिन्ताजनक बात है। अभी इनसे पहले वाले मंत्री जी भी कह रहे थे कि जब हम स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो खाना भी देते हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि खाना और abject poverty को आप क्या कहेंगे, क्या आपने इस तरह के लोगों के लिए कोई स्कीम बनाई है? देश में आगे से इस तरह की दर्दनाक घटना न घटे, जिसने पूरे देश को हिला दिया, क्या इसे दूर करने की कोई योजना आपके पास है?

राव इन्द्रजीत सिंहः महोदय, क्या अब मैं योजनाओं के बारे में अर्ज़ कर दूं, क्योंकि अब तो योजनाओं के बारे मे ही पूछा है?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Be short.

राव इन्द्रजीत सिंहः महोदय, एक बात तो सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली में जो तीन मौतें हुई हैं, वे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हैं। अखबार के अंदर उसकी reporting हुई है, लेकिन वास्तविकता क्या है, इस बारे में अभी तक हमारे पास बात पहुंची नहीं है। हमने इस विषय में संज्ञान ले लिया है और हम पता कर के इस बारे में उत्तर देंगे कि वास्तव में क्या इन बच्चियों की मौत भूख से ही हुई है। **...(व्यवधान)...** अभी कल ही यह समाचार अखबारों में आया है। **...(व्यवधान)...**

श्री सतीश चन्द्र मिश्राः सर, अगर मंत्री जी इस तरह के जवाब देंगे और दिल्ली शहर में रहकर अभी आपको यही शक हो रहा है कि वे भूख् से मरीं या किसी और वजह से मरीं, तो यह बहुत ही अफसोस की बात है। **...(व्यवधान)...**

राव इन्द्रजीत सिंहः सर, जो अखबारों में आता है, वह constitution का हिस्सा नहीं होता, गीता का पाठ नहीं होता और gospel नहीं होता। उसके बारे में जानकारी हासिल करना आवश्यक है। **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I think, the Minister can have inquiry at his own level because this is reported in a national newspaper. *...(Interruptions)...*

RAO INDERJIT SINGH: Sir, it has been reported in the newspaper. But it has not been verified. How can I make a comment on something which *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): No, no. You need not comment. Just verify it. *...(Interruptions)...* Verify it. *...(Interruptions)...*

RAO INDERJIT SINGH: That is what I am saying. Let it be verified. *...(Interruptions)...*

श्री सतीश चन्द्र मिश्राः सर, मंत्री जी ऐसा उत्तर देकर गरीबी का मज़ाक उड़ा रहे हैं। **...(व्यवधान)...**

SHRI ANAND SHARMA: Sir, I have a suggestion. This is a very serious matter. The Members will move for Half-an-Hour Discussion. It is a very important matter. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please give it in writing. *...(Interruptions)...*

SHRI ANAND SHARMA: We will move that. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): The Secretariat will consider it. Thank you very much. ...*(Interruptions)*... Mr. Jatiya.

डा. सत्यनारायण जटियाः महोदय, गरीब को रोज़गार की जरूरत है और रोजगार देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सभापति जी, साल में 365 दिन होते हैं और यह सौ दिन का रोजगार देता है। मेरा मंत्री से पूछना है कि बाकी दिनों में उसकी गरीबी में सहायता करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? मैं इसके साथ ही यह भी पूछना चाहता हूं कि जो योजनाएं गरीबी उन्मूलन के लिए बनाई गई हैं, उनको गति प्रदान करके, उनके परिणाम प्राप्त करने के लिए, उनमें तेजी लाने के लिए क्या विशेष उपाय किए गए हैं?

राव इन्द्रजीत सिंहः जनाब चेयरमैन साहब, "महात्मा गाँधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट" पिछले कई सालों से लागू है। यह एक माध्यम है, जिससे गरीबी को कमजोर किया जा सकता है या हटाया जा सकता है। MOSPI का जो पिछले लार्ज़ स्केल सैम्पल सर्वे था, उसके अंदर 2011 में 21.92 फीसदी लोग, कुल मिलाकर 27 करोड़ लोग poverty line के नीचे थे। उससे पहले वाले साल में, 2004-05 में, जो लक्कड़वाला कमेटी थी, उनकी तरफ से रिंकमडेशन आई थी, उसके अनुसार गरीबी रेखा के नीचे 27.05 फीसदी, यानी 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। यह गरीबी हर साल घटती जा रही है, लेकिन यह रिलेटिव है। आज से पचास साल पहले, सौ रुपये के ऊपर वाला गरीब माना जाता था, लेकिन शायद आज के दिन हज़ार रुपये के ऊपर वाला व्यक्ति गरीब नहीं माना जा सकेगा। मेरा यह कहना है कि यह सारी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, रिलेटिव है। जो मनरेगा है, उसके माध्यम से आज के दिन 2,615 करोड़ man days with a total expenditure of Rs. 4,71,273.41 crore as on 2017-18 इस पर खर्च हो चुके हैं। The average number of days of employment provided per household is 45.77 days during 2017-18, and for the next financial year, 2018-19, an allocation of fifty-five thousand...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. Next question; Question No. 93.

(MR. CHAIRMAN *in the Chair)*

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, Question Nos.103 and 105 are identical to Question No. 93. So, all the three questions can be taken together.

MR. CHAIRMAN: You have a point. Question Nos.103 and 105 seem to be identical. So, we would take it up together with Q. No. 93.

Institutes of excellence

*93. SHRI A. VIJAYAKUMAR: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government has declared some institutions as "Institutes of Excellence";